Order Sheet (subsequent)

राजस्थान राज्य बनाम सुनील वगै०

सेशन प्रकरण संख्या : 11 / 2023

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the order
29.01.2026	लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त सुनील मीणा व सुरेन्द्र मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त महावीर अनुपस्थित, जिसकी हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता पेश हुआ, जो आज के लिए स्वीकार किया गया। प्रकरण में अन्य अभियुक्त शिवभरत मफरूर है। साक्ष्य में गवाह अनुपस्थित। हस्तगत प्रकरण में गवाह सं. 15 (पी.ड.11) मोहनलाल यादव अंतिम गवाह शेष है, जो प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है। उक्त गवाह के बयान विगत पेशी दिनांक 16.01.26 को प्रकरण से संबंधित जब्तशुदा माल के अभाव में डैफर किये जाकर गवाह को पाबंद कर रूखसत किया गया था, किन्तु गवाह (पी.ड.11) मोहनलाल बावजूद पाबंद आज न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है, ना ही गवाह की अनुपस्थिति के संबंध में कोई संदेश प्राप्त हुआ है। प्रकरण लक्षित प्रकरणों की सूची में शुमार है। गवाह के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण की अग्रिम विधिक कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब कारित हो रहा है। अतः गवाह संख्या 15 (पी.ड.11) मोहनलाल यादव गिरफ्तारी वारंट से तलब हो। लोक अभियोजक को भी आइंदा पेशी पर उक्त गवाह मोहनलाल यादव को, अपने स्तर पर प्रयास कर प्रकरण से संबंधित जब्तशुदा माल सहित न्यायालय में उपस्थित रखे जाने हेतु भी निर्देशित किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 02.02.2026 को पेश हो। सत्यनारायण टेलर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां (राज.)	
2/2/26	लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त सुनील मीणा उपस्थित। अन्य अभियुक्तगण महावीर मीणा, सुरेन्द्र मीणा अनुपस्थित, जिसकी हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री लालसिंह मारन पेश हुआ, जो आज के लिए स्वीकार किया गया। प्रकरण में अन्य अभियुक्त शिवभरत मफरूर है। साक्ष्य में गवाह मोहनलाल यादव उपस्थित। लोक अभियोजक द्वारा जाहिर किया गया कि मालखाना इंचार्ज पुलिसथाना कोतवाली बारां के परिवार में शादी समारोह होने के कारण उनके वर्तमान में अवकाश पर रहने व सहायक इंचार्ज हैड	

Order Sheet (subsequent)

राजस्थान राज्य बनाम सुनील वगै०

सेशन प्रकरण संख्या : 11/2023

Date	Order with Initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the order
लगातार..... 02.02.2026	कांनिस्टेबल की पुलिस ट्रेनिंग पर होने से थाने पर उपस्थित नहीं होने के कारण पुलिसथाना कोतवाली बारां की ओर से हस्तगत प्रकरण से संबंधित माल न्यायालय में पेश किये जाने में असमर्थता रही है। लोक अभियोजक द्वारा गवाह मोहनलाल को परीक्षित करवाये जाने हेतु एक अवसर चाहा गया। प्रकरण लक्षित प्रकरणों में शुमार है। लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को आगामी पेशी हेतु पाबंद किया जाकर रूखसत किया गया। लोक अभियोजक को आइंदा पेशी पर गवाह (पी.ड.11) मोहनलाल यादव को प्रकरण से संबंधित माल सहित न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन 13.02.2026 को पेश हो। सत्यनारायण टेलर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां (राज.)	